

Form No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् राजदीप सिंह बनाम सुखपाल कौर किस्म मुकदम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88-92ए-209 आरटीएक्ट वाद संख्या 07/2022

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
--------------------------	-------------------------	---------------------

8.10.2024

पत्रावली पेश हुई। बार-बार रूक-रूककर आवाजे लगाई। आवाजे लगाने के बावजूद पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में कोई पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम् पैरवी अदम हाजरी खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं।
निर्णय आदिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर।

